कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email-jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट https://urban.rajasthan.gov.in/joda Phone No. 0291-2612086/2656355-7

क्रमांक/बैठक/2023/ 2204 दिनांक :: 26 अप्रैल, 2023

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में दिनांक 25 अप्रैल, 2023 को मध्यान्ह पश्चात् 4.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 29 मार्च 2023 मे लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

गत बैठक दिनांक **29 मार्च 2023** का कार्यकारी समिति विवरण जारी किया जाकर सभी को प्रेषित किया जा चुका है। अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक **29 मार्च 2023** का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार सर्व सम्मति गत बैठक दिनांक 29 मार्च, 2023 में लिये गये निर्णय की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में होने वाली बैठकों में गत बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जावे।

प्रस्ताव संख्या 2 :: राजस्थान शहरी विकास निधि द्वितीय में रूडिसको को अंशदान भुगतान बाबत्।

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	राजस्थान शहरी विकास निधि द्वितीय में रूडिसको को अंशदान भुगतान बाबत्।	राजस्थान शहरी विकास निधि द्वितीय में रूडिसको को प्रतिवर्ष प्राधिकरण का अंशदान भुगतान के अनुमोदन कि अनुशंषा कि जाती है।

स्वायत शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 8452 दिनांक 25.08.2021 द्वारा राजस्थान शहरी विकास के स्थान पर राजस्थान शहरी विकास निधि द्वितीय का गठन वित्त विभाग की सहमति से किया गया है तथा राजस्थान शहरी विकास निधि द्वितीय को रूडिसको द्वारा ही संचालित किया जाना है।स्वायत शासन विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना तथा राजस्थान शहरी विकास निधि द्वितीय के दिशा निर्देशों के क्रम में RUDF II फण्ड साईज में विकास प्राधिकरण का वार्षिक अंशदान जमा कराया जाना है। RUDSICO के पत्र क्रमांक 7863 दिनांक 09.12.2021 तथा नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.12(23)नविवि/I/2017 जयपुर दिनांक 03.11.2021 अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण को विकास निधि के रूप में राशि रू 500.00 लाख प्रतिवर्ष जमा कराये जाने है।

उक्त अंशदान 2021–22 से जमा करवाया जाना है। वितीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 हेतु राशि रू 1000.00 लाख के विरूद्व प्राधिकरण की वितीय स्थिति अनुसार राशि रू 500.00लाख का भुगतान कार्यकारी समिति कि बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में किये जाने के फलस्वरूप कार्यकारी निदेशक रूडसिको को किया जा चुका है।

अतः प्राधिकरण का वार्षिक अंशदान रूडिसको को हस्तान्तरित की गई राशि रू 500.00 लाख तथा शेष राशि प्राधिकरण कि वितीय स्थिति अनुसार करने का अनुमोदन कार्यकारी समिति में करवाये जाने की अनुशंषा की जाती है। प्रतिवर्ष निर्धारित अंशदान राशि एवं बकाया राशि का हस्तान्तरण

Scanned with OKEN Scanner

जोधपुर विकास प्राधिकरण की वितीय स्थिति अनुसार करने कि स्वीकृति की अनुशंषा सहित अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार सर्व सम्मति उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: नवीन वस्त्र व्यापार योजना खसरा संख्या 98 ग्राम आंगणवा की पूर्व मे निर्धारित आरक्षित दर मे संशोधन बाबत्

क्र.स	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के सम्बन्ध में	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा
01.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/ टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया हैं।	नवीन वस्त्र व्यापार योजना खसरा संख्या 98 ग्राम आंगणवा की पूर्व मे निर्धारित आरक्षित दर मे संशोधन बाबत्।

ले आउट प्लान कमेटी की बैठक दिनांक 24.08.2022 के एजेण्डा संख्या 02 अनुसार ले–आउट स्वीकृत किया गया। योजना में विभिन्न माप के कुल 819 व्यवसायिक भूखण्ड एवं 123 Informal Shops हैं, ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 98 में कुल क्षेत्रफल 159.13 बीघा भूमि में से 63 बीघा में व्यवसायिक योजना लांच की जानी हैं। जिसमें भूखण्डो का आंवटन/निलामी द्वारा किया जाना हैं, प्राधिकरण के जोनवार सम्बन्धित क्षेत्रो की भूमियों के क्षेत्र की प्रचलित अविकसित कृषि भूमि की आरक्षित दर एवं विकास कार्यो पर होने वाले व्यय की गणना के आधार पर पूर्व मे कार्यकारी समिति द्वारा नवीन वस्त्र व्यापार योजना की आरक्षित दर का निर्धारण 40000/– प्रति वर्गमीटर किया गया था। लेकिन वस्त्र व्यापारियों एवं जन प्रतिनिधीयों द्वारा इस संबंध मे आपत्ति दर्ज करवाते हुए इस संबंध मे जिला कलक्टर महोदय एवं विकास प्राधिकरण मे कई ज्ञापन प्रस्तुत किये गये, जिस संदर्भ मे उक्त दरो के पुर्ननिर्धारण पर विचार विमर्श किया गया। जिसके संदर्भ मे निदेशक अभियांत्रिकी द्वारा उक्त क्षेत्र की अविकसित भूमि की आरक्षित दर एवं उक्त कॉलोनी को विकसित करने मे होने वाले व्यय के आधार पर आरक्षित दर निर्धारण की निम्न प्रकार तालिका तैयार की गयी है :–

S.No.	Item	Amount in Lacs	
		Residential	Commercial=2 X residential
1	Cost of Land (As Given by DC North) Total Scheme Area = 63.00 Bigha or 101980.63 Sqm Area Considered for Planning of scheme = 63.00 Bigha (As given by Planning Dept.) 63.00 Bighas @ Rs. 25.00 Lac. Per Bigha (As given by DC-North)	1575.00	3150.00
	Total (i)	1575.00	3150.00
2	Total Salable Area		
	Total Salable Area (As given by Planning Dept.) in sqm.	35952.68	35952.68
	Total (ii)	35952.68	35952.68
3	Cost of Development Based on P.W.D. Bldg. BSR & Road 2019		
	(a) Levelling & Dressing	75.00	75.00
	(b) Survey, Demarcation, Construction of Mutam and main gate	100.00	100.00
	(c) Construction of Bt /CC Road	1552.88	1552.88
	(d) Storm Water Drain, Culvert & Footpath	444.45	444.45
	(e) Development of Park ,Open Area	225.00	225.00
	(f) Water Supply System (As given by P.H.E. Zone)	1430.05	1430.05
	(g) Sewerage System (As given by P.H.E. Zone)	705.68	705.68
	(h) Electrification Work (As given by Electric Zone)	900.00	900.00
	(i) Plantation Work	150.00	150.00
	(j) Fee & Five year Charges for Rera	10.00	10.00
	(k) Consultancy Charges for Rera Registration	1.00	1.00
	Total (iii)	5594.06	5594.06
	Total (i) & (iii)	7169.06	8744.06
	Reserve Price in per sqm. = Total Cost/Total Saleable Area	19940.27	24321.02
	Proposed For Residential/Commercial Reserve Price (Say)	Rs.20000/-Per Sqm.	Rs. 24000/-Per Sqm.

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त गणना अनुसार योजना की व्यवसायिक आरक्षित दर 24,000/– रूपये प्रति वर्गमीटर प्राप्त हुई हैं पत्रावली के पैरा एन/11 व 12 पर प्राप्त रिपोर्ट अनुसार पूर्व में जो अधिक दर निर्धारण का जो मुख्य कारण था वह यह था कि आवासीय दर को दुगना करते वक्त विकास पर होने वाले व्यय को भी दुगना कर दिया गया जिससे आरक्षित दर अधिक हो गयी। उपरोक्त तालिका में अविकसित भूमि आवासीय आरक्षित दर को दुगना किया गया है एवं उसमें योजना पर होने वाले व्यय को जोडा गया है जिसके आधार पर प्राप्त व्यावसायिक आरक्षित दर 24000/– प्रति वर्गमीटर बनती है, जो सक्षम स्वीकृति/अनुमोदनार्थ हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार सर्व सम्मति उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रस्तावानुसार व्यवसायिक आरक्षित दर 24,000/– प्रतिवर्ग मीटर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: राजस्व ग्राम मोगड़ाखुर्द तहसील लूणी के खसरा संख्या 142 रकबा 370.06 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से 493043.8 वर्गमीटर क्षेत्रफल भूमि पर प्रस्तावित ट्रासंपोर्ट एवं ऑटोमोबाईल मार्केट नगर योजना की आरक्षित–दर पुनः निर्धारण करने बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम मोगड़ाखुर्द तहसील लूणी के खसरा संख्या 142 रकबा 370.06 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से 493043.8 वर्गमीटर क्षेत्रफल भूमि पर प्रस्तावित ट्रासंपोर्ट एवं ऑटोमोबाईल मार्केट नगर योजना की आरक्षित–दर पुनः निर्धारण करने की अभिशंषा की जाती है।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक प.1(1) नविवि/जोधपुर/2014 दिनांक 14.06.2014 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार राजस्व ग्राम मोगड़ाखुर्द के खसरा सख्या 142 व 295 के रकबा 601.12 में से 336 बीघा भूमि पर ट्रांसपोर्ट नगर एवं ऑटोमोबाईल मार्केट नगर योजना बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक 30 जुलाई व 31 जुलाई 2014 के प्रस्ताव संख्या 3 (7) में उक्त योजना की व्यवसायिक रिजर्व प्राईज 13080/– प्रतिवर्गमीटर निर्धारित की गई थी। जिसके अंतर्गत विभिन्न ट्रासंपोटर्स के संगठनों द्वारा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई आरक्षित दर के संबंध में आपत्ति दर्ज कराई गई। आवंटन आरक्षित दर की बजाय डीएलसी दर पर भूखण्ड आवंटन की मांग की गई।

दिनांक 12.03.2018 को प्रस्तावित योजना के संबंध में आयुक्त महोदय के कक्ष में बैठक आयोजित की गई जिसके अंतर्गत निर्धारित की गई व्यवसायिक आरक्षित दर 13080/– को पुनः विश्लेषण करते हुए रिजर्व प्राईज की दर निर्धारित करने हेतु निदेशक (अभियांत्रिकी) को नियुक्त किया गया।

प्राधिकरण के पत्र कमांक एफ–46/आवंटन/2018/1107 दिनांक 03.08.2018 के द्वारा जोधपुर में पाली रोड़ पर प्रस्तावित नये ट्रासंपोर्ट एवं ऑटोमोबाईल मार्केट के आवंटन की दर निर्धारण करने हेतु सचिव, निदेशक (अभियांत्रिकी), निदेशक (वित्त), निदेशक (आयोजना), उपायुक्त (पूर्व) समिति का गठन किया गया।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जिला वृत जोधपुर के पत्र कमांक 3412 दिनांक 24.07.2019 के द्वारा प्राधिकरण की उक्त योजना में आंतरिक पेयजल वितरण प्रणाली व बाह्य पेयजल व्यवस्था हेतु तकमीना (Tantative तौर पर) प्रेषित किया गया। जिसके अंतर्गत निदेशक (अभियांत्रिकी) जोविप्रा के अनुसार प्रस्तावित योजना की आरक्षित दर 12550/–प्रति वर्गमीटर निर्धारण किये जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई।

Scanned with OKEN Scanner

जिसके संबंध में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 03.09.2019 में इस योजना की पूर्व निर्धारित आरक्षित दर 13080/- रू. प्रतिवर्गमीटर को कम करते हुये 12550/- रू. प्रति वर्गमीटर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय नगरीय विकास विभाग जयपुर के पत्रांक प.1 (63) नविवि/जोधपुर/2021 जयपुर दिनांक 16.09.2022 के अनुसार नगरीय विकास विभाग के लिये गठित मंत्रीमण्डलीय एम्पावर्ड समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 30.08.2022 में लिये गये निर्णयानुसार उक्त योजना के भूखण्डों का पूर्व में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आरक्षित दर 12550/- रू प्रतिवर्गमीटर में 30 प्रतिशत की रियायत दिये जाने एवं योजना में अवस्थित भूखण्डों का संबंधित एसोसियेशन में पंजीकृत फॉर्म/व्यवसायी को ही लॉटरी के माध्यम से आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार ट्रांसपोर्ट एवं ऑटोमोबाईल मार्केट नगर योजना के खसरा संख्या 142 व 295 ग्राम मोगड़ाखुर्द की आरक्षित दर की गणना पुनः करने हेतु निदेशक(अभियांत्रिकी) को नियुक्त किया गया।

निदेशक (अभियांत्रिकी) जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा पूर्व में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 03/09/2019 को निर्धारित आरक्षित दर 12550/- रू प्रतिवर्गमीटर की गणना में पांच वर्ष हेतु 20 प्रतिशत मेन्टनेन्स चार्जेस को विलोपित कर शेष चार्जेस को यथावत रखते हुये पुनः गणना की गई। पुनः गणना निम्नानुसार है :-

Revised Reserve Price

For Transport and Automobile Nagar at Khasra No. 142, 295 Mogara Khurd, Jodhpur

S.No.	Item	Amount in Lacs
1	**Cost of Land (As Given by DC South) Total Scheme Area = 299.86 Bigha Area Considered for Planning of scheme = 299.86 Bigha (As given by Planning Dept.) 299.86 Bighas @ Rs. 3150000/- Per Bigha 100% GD.L.C. Rate (3150000/-) (As given by DC-South)**	9445.59
	Total (i)	**9445.59**
2	**Total Saleable Area (As given by Planning Dept.)**	
	Total Commercial Area (As given by Planning Dept.)	**165436.37**
	Total OCF Area (As given by Planning Dept.)	**37417.70**
	Total (ii)	**202854.07**
	Effective Saleable Area =0.85x Saleable Area in Sqm.	**172425.96**
3	**Cost of Development Based on P.W.D. Bldg. BSR 2013 & Road 2016**	
	(a) Levelling of ground and Survey work	72.79
	(b) Construction of Road	1860.14
	(c) Constructing of Parking Area	463.16
	(d) Constructing of Park	285.95
	(E) Constructing OCF Boundary Wall	22.97
	(e) Water Supply System **(As given by P.H.E. Zone)**	443.64
	(f) Sewerage System **(As given by P.H.E. Zone)**	483.90
	(g) Electrification Work **(As given by Electric Zone)**	1300.00
	(h) Plantation Work	43.00
	Total (iii)	**4975.55**
	Total (i) & (iii)	**14421.14**

Scanned with OKEN Scanner

4	Add 30% of Total (i) & (iii) for administration and Establishment Charges = Total (iv)	4326.34
	Total (v)	18747.48
	Reserve Price in per sqm.=Total Cost/Total Saleable Area	10872.77
	Say	Rs. 10870 per Sqm.

उपरोक्तानुसार पुनः गणना उपरान्त योजना की आरक्षित दर 10870/- रू प्रतिवर्गमीटर प्राप्त हुई है। अतः ट्रांसपोर्ट एवं ऑटोमोबाईल मार्केट नगर योजना की संशोधित आरक्षित दर 10870/- रू प्रतिवर्गमीटर के निर्धारण की सक्षम स्वीकृति/अनुमोदनार्थ हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार सर्व सम्मति उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रस्तावानुसार ट्रांसपोर्ट एवं ऑटोमोबाईल मार्केट नगर योजना की संशोधित आरक्षित दर 10870/- निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: नवीन आवासीय योजना खसरा संख्या 221 व 226 ग्राम मोगड़ा कलां की आरक्षित दर के निर्धारण के सम्बन्ध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	नवीन आवासीय योजना के खसरा संख्या 221 व 226 ग्राम मोगड़ा कलां की आरक्षित दर व नामकरण सक्षम स्वीकृति/अनुमोदनार्थ हेतु अभिशंषा की जाती हैं।

राजस्व ग्राम मोगड़ाकलां के खसरा संख्या 221 व 226 में योजना का ले आउट प्लान दिनांक 03/10/2018 एवं संशोधित लें-आउट प्लान दिनांक 17/08/2021 को स्वीकृत किया गया। योजना में विभिन्न माप के कुल 287 आवासीय भूखण्ड एवं 58 Informal Shops हैं, ग्राम मोगड़ा कलां के खसरा संख्या 221 व 226 में कुल क्षेत्रफल 76.41 बीघा भूमि में आवासीय योजना लांच की जानी हैं। जिसमें भूखण्डो का आवंटन लॉटरी द्वारा किया जाना हैं, प्राधिकरण के जोनवार सम्बन्धित क्षेत्रो की भूमियों के क्षेत्र प्रचलित वर्तमान डी.एल.सी दर एवं विकास कार्यो पर होने वाले व्यय की गणना निम्नानुसार की गई हैः-

S.No.	Item	Amount in Lacs	
		Residential	Commercial=2 X residential
1	Cost of Land (As Given by DC East) (123698.97 Sqmt /1619.33=76.39 Bigha) Total Scheme Area = 76.39 Bigha Area Considered for Planning of scheme = 76.39 Bigha (As given by Planning Dept.) 76.39 Bighas @ Rs. 3200000- Per Bigha for Residensial (As given by DC-East)	2444.48	4888.96
	Total (i)	2444.48	4888.96
2	Total Salable Area		
	Total Salable Area (As given by Planning Dept.) in sqm.	70214.02	70214.02
	Total (II)	70214.02	70214.02
3	Cost of Development Based on P.W.D. Bldg. BSR & Road 2019		
	(a) Levelling & Dressing	1.86	1.86
	(b) Survey, Demarcation, Construction of Mutam and main gate	19.38	19.38
	(c) Construction of BT	649.41	649.41
	(d) Storm Water Drain, Culvert & Footpath	255.19	255.19
	(e) Development of Park ,Open Area	155.80	155.80
	(f) Water Supply System (As given by P.H.E. Zone)	708.00	708.00

Scanned with OKEN Scanner

	(g) Sewerage System (As given by P.H.E. Zone)	500.00	500.00
	(h) Electrification Work (As given by Electric Zone)	170.50	170.50
	(i) Plantation Work	39.75	39.75
	(j) Fee & Five year Charges for Rera	10.00	10.00
	(k) Consultancy Charges for Rera Registration	1.00	1.00
	Total (III)	2510.89	2510.89
	Total (I) & (III)	4955.37	7399.85
	Reserve Price in per sqm. = Total Cost/Total Saleable Area	7057.52	10538.99
	Proposed For Residential/Commercial Reserve Price (Say)	Rs. 7000 /-Per Sqm.	Rs. 10500/- Per Sqm.

उपरोक्तगणना अनुसार योजना की आवासीय आरक्षित दर 7000/– रूपये प्रति वर्गमीटर एवं व्यवसायिक आरक्षित दर 10,500/– रूपये प्रति वर्गमीटर प्राप्त हुई हैं एवं उक्त योजना का नामकरण पत्रकार कॉलोनी मोगडा किया जाने की सक्षम स्वीकृति/अनुमोदनार्थ हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए योजना की आवासीय आरक्षित दर 7000/– रूपयें प्रति वर्गमीटर तथा व्यवसायिक आरक्षित दर 10500/– रूपयें प्रतिवर्गमीटर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: सेवाप्रदाता एजेन्सी के मार्फत जोविप्रा में तथा विभिन्न स्थानो पर कम्प्युटर ऑपरेटर की सेवाए बाबत संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति के संबंध में।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	सेवाप्रदाता एजेन्सी के मार्फत जोविप्रा में तथा विभिन्न स्थानो पर कम्प्युटर ऑपरेटर की सेवाए बाबत संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति के संबंध में

सेवाप्रदाता एजेन्सी के मार्फत जो वि प्रा में तथा विभिन्न स्थानो पर कम्प्युटर ऑपरेटर की सेवाए हेतु SOP-II (Goods & services) के बिन्दु सं. 01 के अनुसार कार्य की आवश्यकता को देखते हुये संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 218.00 लाख की कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में जारी की गई। जिसका अनुमोदन कार्यकारी समिति में निहित है,

अतः कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 218.00 लाख के अनुमोदन कार्यकारी समिति से करवाने हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रस्तुत प्रस्ताव में संपूर्ण तथ्यों का समावेश नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव संपूर्ण तथ्यों के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: प्राधिकरण कार्यालय उपयोग हेतु फोटो कॉपी का कार्य में संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति एवं समयावृद्धि के संबंध में।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	प्राधिकरण कार्यालय उपयोग हेतु फोटो कॉपी का कार्य में संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 73.00 लाख एवं समयावधि के अनुमोन की अभिशंषा की जाती है।

Scanned with OKEN Scanner

प्राधिकरण कार्यालय उपयोग हेतु फोटो कॉपी का कार्य का कार्यादेश क्रमांक 103 दिनांक 17.07.2012 वार्षिक दर संविदा अनुबंध के तहत जारी किया गया था। इस अनुबंध के तहत कार्य की समयावधि बढाई गई थी साथ ही जोधपुर विकास प्राधिकरण की प्राधिकरण बैठक कार्यवाही क्रमांक बैठक/2013/1801—V/1/1021-70 दिनांक 24.09.2013 के प्रस्ताव संख्या 6 (16) के बिन्दु सं. 304 के द्वारा संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 35.00 लाख जारी की गई तथा अनुबंध की समयावधि 6 माह तक बढाई गई थी। परंतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक विवरण क्रमांक 2179—2217 दिनांक 04.08.2014 के प्रस्ताव संख्या 06 से उक्त संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति को निरस्त किया गया है। लेकिन इस अनुबंध के तहत एवं स्वीकृत दरो के अनुसार जनवरी 2015 तक संबंधित फर्म से कार्य करवाया गया तथा पत्रावली पर फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलो का सत्यापन किया गया है। मूल पत्रावली भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो द्वारा जांच हेतु ली गई थी। जिसे दिनांक 16.06.2020 को पुनः कार्यालय भेजी गई है। पत्रावली पर उपस्थित तथ्यो के अनुसार पत्रावली जांच हेतु एसीबी में होने के कारण नवीन निविदा आमंत्रित नही किया जाना बताया गया है। चुंकि कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृत राशि रू. 20.00 लाख तथा अवधि 12 माह थी जबकि अनुबंध के तहत वास्तविक कार्य अवधि 30 माह रही तथा कार्य पर कुल व्यय राशि रू. 73.00 लाख है। जिसमें से राशि रू. 20.00 लाख का भुगतान किया जा चुका है तथा शेष राशि रू. 53.00 लाख के भुगतान की संवेदक द्वारा मांग की जा रही है। चुंकि प्रकरण वर्ष 2012—13 का है तथा मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृत एवं अवधि से क्रमश 3.5 गुणा व 2.5 गुणा होने के कारण शिथिलता प्रदान करते हुये सक्षम स्वीकृति हेतु अथवा निर्णय हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति में प्रस्तुत है।

अतः कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 73.00 लाख की स्वीकृति एवं भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रस्तुत प्रस्ताव में संपूर्ण तथ्यों का समावेश नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव संपूर्ण तथ्यों के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: Interior works at Barkatullah Khan Stadium Jodhpur Including Planning Designing of Complete Area As per BCCI/International Standard के संबंध में।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	Interior works at Barkatullah Khan Stadium Jodhpur Including Planning Designing of Complete Area As per BCCI/International Standard कार्य के समयावधि प्रकरण की स्वीकृति की अभिशंषा की जाती है।

Interior works at Barkatullah Khan Stadium Jodhpur Including Planning Designing of Complete Area As per BCCI/International Standard के अनुबंध संख्या एफ 38 (18)2021—22/मुख्यालय के तहत कार्यादेश जारी किया गया, कार्यादेश राशि रू. 2,19,98,335/— है। कार्य की पूर्ण समयावधि 06 माह थी, तथा पूर्ण करने की निर्धारित दिनांक 14.05.2022 थी। कार्य समयावधि के दौरान आई बाधाओ (Recliner, Various Furniture Item, Player Locker, Push back chair side screen, Carpet, Hall of इत्यादि के सेम्पल समय पर अनुमोदित नहीं हुए जिस कारण उपरोक्त आईटम को साईट पर लाने में देरी हुई तथा कार्य समय पर पूर्ण नही हो सका। कार्य में लगा समय 181 दिन + विलम्ब समय 90 दिन कुल अवधि 271 दिन है जो की मूल अवधि से 1.49 गुणा है एसओपी के बिन्दु सं. 28 ।। के अनुसार उक्त प्रकरण के समयवधि की स्वीकृति की सक्षमता " Next

Scanned with OKEN Scanner

higher Authority of bid sanctioning authority " जो प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में निहित है विलम्ब की सम्पूर्ण अवधि, समयावधि प्रकरण के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण को उतरदायी माना गया है।

अतः उपरोक्तानुसार समवाधि प्रकरण बिना शास्ति के भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: Supply & fixing of chairs of Stand in barkatullah khan Stadium, Jodhpur. के संबंध में।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	Supply & fixing of chairs of Stand in barkatullah khan Stadium, Jodhpur. की स्वीकृति की अभिशंषा की जाती है।

Supply & fixing of chairs of Stand in barkatullah khan Stadium, Jodhpur के अनुबंध संख्या एफ 38 (26)2020–21 / मुख्यालय के तहत कार्यादेश जारी किया गया, कार्यादेश राशि रू. 45387520.00 का कार्य पूर्ण समयावधि 3 माह थी पूर्ण करने की निर्धारित दिनांक 24.04.2022 थी। कार्य समयावधि के दौरान आई बाधओ (आरसीए द्वारा chairs pattdern design dt 08-04-2022 को अनुमोदित की गई थी। साथ ही पुराने स्कोरर बोर्ड के स्थान पर कुर्सिया लगाने का निर्णय भी समय पर नही हो सका, साथ ही कुछ स्थान पर पुरानी आरसीसी को स्ट्रेथंन किया गया) के कारण कार्य समय पर पूर्ण नही हो सका। कार्य में लगा समय 90 दिन (90+4) + विलम्ब समय 132 दिन कुल अवधि 226 दिन है जो मूल अवधि से 2.4 गुणा है एसओपी के बिन्दु सं. 28 ।। के अनुसार उक्त प्रकरण के समयवधि की स्वीकृति की सक्षमता " Next higher Authority of bid sanctioning authority " जो प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में निहित है विलम्ब की सम्पूर्ण अवधि, समयावधि प्रकरण के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण को उतरदायी माना गया है।

अतः उपरोक्तानुसार समवाधि प्रकरण बिना शास्ति के भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: प्रशासन शहरों के संग अभियान 2022–23 में नगर मित्रों से सर्वे कार्य करवाने का कार्य।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	प्रशासन शहरों के संग अभियान 202–23 में नगर मित्रों से सर्वे कार्य करवाने का कार्य की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति के अनुमोदन की अभिशंषा की जाती है।

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2022–23 में नगर मित्रों से सर्वे कार्य करवाने का कार्य की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति का अनुमोदन SOP-II (Goods & services) के बिन्दु सं. 01 To Accord administrative & Financial approval for good & Services के अनुसार राशि रू. 400.00 लाख की

Scanned with OKEN Scanner

स्वीकृति जारी की गई जिसकी सक्षमता कार्यकारी समिति में निहित है, कार्य की अतिआवश्यकता को देखते हुये कार्य की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 400.00 लाख कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में जारी किया गया।

अतः कार्य की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 400.00 लाख का अनुमोदन कार्यकारी समिति से करवाने हेतु प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रूपये 400.00 लाख का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा अब तक कितने सर्वे करवाये गये हैं तथा उन प्राप्त सर्वे में से कितने प्रकरणों को ले–आऊट प्लान समिति/जोनल लेवल समिति (जेड.एल.सी.) में प्रस्तुत कर निर्णित करवाया गया है, का ब्यौरा भी आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। इसके साथ ही समस्त उपायुक्तगण द्वारा प्रेषित सूचनाओं के आधार पर उक्त कार्य हेतु RTPP नियमानुसार प्रकिया अपनाई जाने की कार्यवाही किया जाना निर्णीत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 :: सेवाप्रदाता एजेन्सी के मार्फत जोविप्रा में तथा विभिन्न स्थानों पर संविदा कर्मियो की सेवाए बाबत संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति के संबंध में।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	सेवाप्रदाता एजेन्सी के मार्फत जोविप्रा में तथा विभिन्न स्थानो पर संविदा कर्मियो की सेवाए हेतु संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 306.09 लाख का अनुमोन की अभिशंषा की जाती है।

सेवाप्रदाता एजेन्सी के मार्फत जोविप्रा में तथा विभिन्न स्थानो पर संविदा कर्मियो की सेवाए हेतु SOP-II (Goods & services) के बिन्दु सं. 01 के अनुसार कार्य की आवश्यकता को देखते हुये संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 306.09 लाख की कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में जारी की गई। जिसका अनुमोदन कार्यकारी समिति में निहित है,

अतः कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 306.09 लाख के अनुमोदन कार्यकारी समिति से करवाने हेतु प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रस्तुत प्रस्ताव में संपूर्ण तथ्यों का समावेश नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव संपूर्ण तथ्यों (वित्तिय वर्ष का उल्लेख, स्वीकृति, आधार/ औचित्य आदि) के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोन पश्चिम मे राजीव गांधी कॉलोनी में वृक्षारोपण का कार्य मय तीन वर्ष रखरखाव अनुबंध संख्या F38(46)2010–11के Extra कार्य व Excess कार्य तथा समयावधि बढाने की स्वीकृति के संबंध में :–

क्रं. सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
	पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया हैं।	राजीव गांधी कॉलोनी में वृक्षारोपण का कार्य मय तीन वर्ष रखरखाव के प्रस्ताव की अनुशंषा की जाती हैं।

Scanned with OKEN Scanner

इस कार्य की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति 78.90 लाख की स्वीकृत ळें कार्यादेश की राशि 6417587 रू. है।कार्य पर Extra कार्य 188433.72 रू. है, जो कि कार्यादेश का 2.94 प्रतिशत है तथा Excess कार्य 3180900.31 रू. है। जो कि कार्यादेश का 49.56 प्रतिशत है, अधिक व अतिरिक्त कार्य चुनाव आचार सहिता लगने व पौधो के रखरखाव व संधारण के कारण हुआ है ।कार्य आरम्भ करने की दिनांक 01.08.2010 व तथा कार्य पूर्ण व रखरखाव करने की दिनांक 31.07.2013 थी। परन्तु कार्य दिनांक 30.04.2015 को पूर्ण हुआ था जो कि पत्रावली अनुसार अक्टूबर 2013 में विधान सभा चुनाव व मार्च 2014 में लोक सभा चुनावों के कारण नवीन टेन्डर नहीं हो सकने के कारण प्रोविजनल समयावधि आदेश संख्या 593 दिनांक 20.04.2015 के द्वारा दिनांक 30.06.2015 तकतत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता द्वारा बढाई गई थी। उक्त कारणों से अधिकव अतिरिक्त कार्य सम्पादित हुआ। इस कार्य के रखरखाव को पूर्ण करने की दिनांक 31.07.2013 थी, लेकिन कार्य पूर्ण करने की वास्तविक दिनांक 30.04.2015 है। यह कार्यपेड़ पौधों के रखरखाव व संधारण का कार्य था, तथा साथ ही चुनाव आचार संहिता होने के कारण Extra व Excess कार्य व समयावधि बढाई गई थी। समयावधि प्रकरण तत्कालीन निदेशक अभियांत्रिकी महोदय द्वारा पत्रावली के पैरा संख्या 144/एन दिनांक 23.02.2017 द्वारा स्वीकृत है।

अतः इस कार्य की समयावधि दिनांक 30.04.2015 तक बिना शास्ति बढाने व Extra कार्य 188433.72 रू. व Excess कार्य 3180900.31 रू. की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति में प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रस्तुत प्रस्ताव में संपूर्ण तथ्यों का समावेश नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य लेखाधिकारी एवं अधिशाषी अभियन्ता की कमेटी का गठन कर उक्त कमेटी से प्रकरण का परीक्षण करवाकर प्रकरण समस्त तथ्यों के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 13 :: Construction of New Bridge (Extra Laning) over Kaylana Lake joining Kaylana to Keru Road Portion, Jodhpur कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छिपाया नहीं गया है। (FTS क्रमांक JDA/FTS/113015)	Construction of New Bridge (Extra Laning) over Kaylana Lake joining Kaylana to Keru Road Portion, Jodhpur कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की अनुशंषा की जाती है।

राज्य सरकार की बजट घोषणा वित्तीय वर्ष 2023–24 की घोषणा संख्या 102 के बिन्दु सं. 7 अनुसार जोधपुर के कायलाना से केरू की तरफ सड़क की अतिरिक्त लेनिंग का कार्य, जिसका तैयार तकमीने अनुसार अनुमानित लागत राशि रू. 1500.00 लाख है। वर्तमान प्रचलित एसओपी के अनुसार राशि रू. 500.00 लाख से अधिक की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति (EC) सक्षम है।

अतः आयुक्त महोदय के स्वीकृति के पश्चात् उक्त कार्य हेतु राशि रू. 1500.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रकरण कार्यकारी समिति (EC) के सक्षम निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव संख्या 14 :: Renovation of Existing building of Jai Narayan Vyas Town Hall , Jodhpur including all additions and alterations in civil work, modification of all toilets, complete Auditorium Interior work etc.

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	Renovation of Existing building of Jai Narayan Vyas Town Hall ,Jodhpur including all additions and alterations in civil work, modification of all toilets, complete Auditorium Interior work etc. के alterations in civil work, modification of all toilets, Additional work Amount Rs. 3612994.54 की स्वीकृति की अभिशंषा की जाती है।

Renovation of Existing building of Jai Narayan Vyas Town Hall ,Jodhpur including all additions and alterations in civil work, modification of all toilets, complete Auditorium Interior work etc. के अनुबंध संख्या एफ (04)2022–23/HQ के तहत कार्यादेश जारी किया गया था, कार्यादेश राशि रू. 85300000.00 है। कार्य के Bid Document clause 14 payment के नोट के बिन्दु 1,2 एवं 3 की पालना में उक्त Additional work Amount बिन्दु सं. 3 के तहत राशि रू. 3612994.54 जो कार्यादेश राशि का 4.236 प्रतिशत है जो निम्नानुसार है :–

Additional work item calculation from original scope in EPC

S.No	Item Description	Amount	PO value	%
1	BSR Items - 1 to 24 (Sec A)	2,482,107.42	85300000	2.910%
2	Non BSR items - 25 to 33 (Sec B)	1,130,887.12	85300000	1.326%
	Total Amount	**3,612,994.54**		4.236%

Additional work item from original scope in EPC

S.No	BSR No	Item Description	Unit	Rate	Qty	Amount	PO value-%	Details	Remarks
							85,300,000		Not in scope
A	BSR rate items								
1	B 1.6	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator)/ manual means over areas (exceeding 30cm in depth. 1.5m in width as well as 10 sqm on plan) including disposal of excavated earth, lead upto 50m and lift upto 1.5 m, disposed earth to be levelled and neatly dressed: All kinds of soil.	Cum	190	582	110,673.10	0.130%	Annexure B	At the time DPR, A beam about 1.2 meter was not visible because of false ceiling and accordingly hence false ceiling removed beam being visible then For improving line of vision, Levels of auditorium and stage changed - Firstly it was shown after dismantle of ceiling as 1.2 mtr beam at entire audi initial area i.e

									for maintain line of vision II auditorium area levels gone down meanwhile excavation done as per revised approved drawings
2	5 (B 9.2)	Structural steel work in single section fixed with connecting plate including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer all complete above plinth level up to 4.5 Mtr. height in R.S. Joist, flats, tees, angles and channels.	Kg	66	1600	105,60 0.00	0.124%		For supporting of broken slabs/stone patti as initially it was cracked i.e for re-strenghting the entire area (Ground floor-drinking area as per drawing)
3	7 (B6.2 .7)	Random Rubble stone masonary for superstructure above plinth level one storey height above 30 Cm. thick walls IS 1597 (Part-I) 1992 in : Cement Sand Mortar 1:6 (1-Cement:6-Sand).	Cum	3464	50.03	173,32 0.20	0.203%	Annexure E	For particular areas (without scope area) as per site instructions by engineer-in-charge.
4	8 (B6.3 2)	Supplying and fixing ashlar coping ordinary 7 to 10 cm. thick 2-line dressed (normal length of single piece not less than 0.90m) (a) Soorsagar or eqvt. White Ashlar	Sqm	6512	16.2	105,49 4.40	0.124%	Annexure E	For missed roof areas stone as per site requirements for betterment.
5	9 (B 6.62)	Supplying and fixing red Ashlar 17 cm thick exposed width todies under slopped Chajja with alternate projection and cutting complete including cutting & moulding.	Mtr.	2241	27.20	60,955 .20	0.071%	Annexure E	For missed chhajja where needs as per site requirements for betterment near entrance porch area, drinking water area, behind back stage portion etc.
6	11 (B 4.1.2)	Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete including curing compaction finishing with rendering in cement sand mortar 1:3 (1-Cement:3-coarse sand) and making good the joints excluding the cost of centering, shuttering and reinforcement. All work up to plinth level IS 456-2000: 1:1.5:3 (1-Cement:1.5 coarse sand:3-graded stone aggregate 20 mm nominal size)	Cum	4235	15.52	65,727 .20	0.077%	Annexure F	For Re-strenthing the coulmns where we have removed center columns at stage/back stage areas at per approved revised drawings
7	12 (B 6.29)	Supplying and fixing ashlar solid block pillars fully fine (3 lines) dressed (a) Soorsagar or eqvt. White Ashlar	Cum	27712	2.16	59857. 92	0.070%	Annexure F	West side main entrance, as per direction of team RSNA and opening filled upto sill levels and space to be created for art

Scanned with OKEN Scanner

									painting as instrcutions by RSNA team for porch entry entrance area.
8	11 (B 5.8.4 + 5.9)	Half brick masonry in foundation & plinth using bricks of designation 75 with nominal hoop reinforcement (2 Nos. 6mm MS bar) at every fourth course. Cement Sand mortar 1:6 (1-Cement:6-coarse sand). Add extra over item No. 5.8 for half brick masonary in superstructure up to third story.(495+32)=527	Sqm	527	70	36,890 .00	0.043%		For improving the line of vision for particular areas (without scope area) as per site instructions by engineer-in-charge
9	9 (B 11.4 4)	Random rubble dry stone Kharanja under floor.	Sqm	683	702.08	479,52 0.64	0.562%	Annex ure F	For strenthning the base of all excavated area entire auditorium and respective areas as per revised approved drawing
10	15 (B6.2 6.1C B)	Supplying and fixing ashlar sills, jambs, skirting, steps etc. rough dressed: (B) Upto 15 cm thick Red Ashlar	Cum	14910	8.4	125,24 4.00	0.147%	Annex ure F	For betterment and instrcutions by RSNA team for porch entry entrance area.
11	(B 6.35. 2)	Fine dressing of ashlar stone work (payable on Executive Engineer's test checking): (B) Red Ashlar two line	Sqm	407	16.8	6,837. 60	0.008%	Annex ure F	For betterment and instrcutions by RSNA team for porch entry entrance area.
14	16 (S 2.26. 8)	P & F PVC Storage Tank (IS:12701 marked indicating the BIS license No.) of approved make with cover, 25 mm dia 1 M long G.I. over-flow pipe & 25 Cm. long wash out pipe with plug & socket, including making connection etc. complete of approved design. 5000 litres capacity.	each	39000	13	507,00 0.00	0.594%		Not in scope work as per instrcutions by engineer-in-charge and requirement of premises.

Scanned with OKEN Scanner

15	E201 500	Suppy and installation,testing and commissioing of wall mounted ISO9001:2015 & 14001 or heigher level certfied company made communication enclosed (Rack) of minimum 500Mmdepth with made from CRCA &hot dip powder coated,front strudy, sheet steel frame folded from one piece and welded with minmum 5mm toughned glass door, vertical mounting rail 1.6mm with U marking with all round protective chanel on the door aperture,lock integrated on front door,top,and bottom, cover with cable entry provision with glande plates,intergrated side walls,2 pair of 19' angles with all mounting provisions on wall, accessories like: 1 No of 19" 1U horizontal cable manager, 2 No of 90cfm230 AC fan with 1 mtr long cable,mounting hardware.1 no of 19"1U mountable socket strips 6 nos of 5A universal socekts with 2 mtrs long power cord supply cable.Fixing on wall with fasteners of suitable capacity etc as required complete with all aspects .All as per pre approved by EI for addiational technical paramiters of products /work refer to annexure "A"attched with BSR								For betterment and instrcutions by RSNA team forvCCTV work for all areas/premises.
	E201 502	9 U wall mounted enclosure	Each	7,833.00	1	7,833.00	0.009%			For betterment and instrcutions by RSNA team forCCTV work for all areas/premises.
16		Supply, installation, testing and commisioning of Fasterners size (300mm length D 12)	Nos	244	80	19,520.00	0.023%			For suporting existing beam with steel girder for removal of pillars between stage and back stage.
17	9.67	Repairing & refixing of different type of old weldmesh jali/railing including welding with red oxide paiting & transportation with all leads and lifts etc. as per direction of Engineer Incharge.	Kg	34.00	1540	52,360.00	0.061%			Hon'ble High court committee visited and observed that compound wall height to be raised out and a drawing proposed by Arcitect Pramod jain-Jalpur

Scanned with OKEN Scanner

	6.1	Random Rubble stone masonary for foundation and plinth in Cement Sand Mortar above 30 Cm. thick wall IS 1597 (Part-I) 1992 in :				-			
18	6.2.7	Cement Sand Mortar 1:6 (1-Cement:6-Sand).	cum	3464	58	200,912.00	0.236%		Hon'ble High court committee visited and observed that compound wall height to be raised out and a drawing proposed by Arcitect Pramod jain-jaipur
19	6.4.1	Course rubble facing First Sort.	Sqm	322	366.58	118,038.76	0.138%		Hon'ble High court committee visited and observed that compound wall height to be raised out and a drawing proposed by Arcitect Pramod jain-jaipur
20	6.4.8	Add extra for rock facing using Jodhpur white sand stone with porper projection and chiesel dressing of edges of stone 2 line dressing for building corners,jambs including uniform joints.	Sqm	233	366.58	85,413.14	0.100%		Hon'ble High court committee visited and observed that compound wall height to be raised out and a drawing proposed by Arcitect Pramod jain-jaipur
21	6.4.5	Deep Grout pointing	Sqm	105	366.58	38,490.90	0.045%		Hon'ble High court committee visited and observed that compound wall height to be raised out and a drawing proposed by Arcitect Pramod jain-jaipur
22	6.4.6	Removing ashalar In cement Mortar	Cum	864	73.16	63,210.24	0.074%		Hon'ble High court committee visited and observed that compound wall height to be raised out and a drawing proposed by Arcitect Pramod jain-jaipur

Scanned with OKEN Scanner

23	6.44	Re-fixing old ashlar stone w/o dressing	Cum	382	73.16	27,947.12	0.033%			Hon'ble High court committee visited and observed that compound wall height to be raised out and a drawing proposed by Arcitect Pramod jain-jaipur
		(A) White Ashlar								
	6.35	Fine dressing of ashlar stone work (payable on Executive Engineer's test checking):								
24	6.35.3	(A) White Ashlar one line	sqm	539	58	31,262.00	0.037%			Hon'ble High court committee visited and observed that compound wall height to be raised out and a drawing proposed by Arcitect Pramod jain-jaipur
A		Total of BSR items				2,482,107.42	2.910%			
B	Non BSR rate items									
25	Non BSR	Removal of pillar between stage/ back stage-Supporting beam for removing pillar between satge and back stage, scaffolding work, rail sections,silipat, iron ghoda,support system, gypsum khaddi, masonary of stone,plaster, cheasling manually withour hindraces in foundation complete in all aspects as per E-I.	Nos	66577	2	133,154.76	Annexure C	0.156 %		Hon'ble president rajasthan sangeet natak academy Smt Binaca jesh maloo and team RSNA decided the removal for pillars between stage and back stage for technical reasons for artists.There were removed pillars between stage and back stage, which originally not to be removed but Hon'ble state minister shri ramesh borana ji and president of rajsthan sangeet natak academy Smt Binaca jesh maloo has asked to it's removal for technical reasons for artists, to

Scanned with OKEN Scanner

									have a bigger opening from back stage to stage, consultant was asked for methodology of its removal since loading will increase end pillars foundation has to the strenghthen, thus item executed as per approved drawings
26	Non BSR	Cheasling of masonary of offsets after removal of pillar between stage/back stage-Since pillar has to be removed between stage and back without disturbing existing foundations, The foundations has to be sawed mechanically by grinders etc for structure and safety reasons/concerns.	sqft	798	640	510,40 0.00	Annexure C	0.598 %	Since pillar has to be removed between stage and back stage without disturbing existing foundations has to be sawed mechanically by grinders etc for structure safety reasons/concems at site.
27	Non BSR	Opening of doors from VIP room side and from drinking water side to Audi for VIP and artist comaplte incuding earth work/PCC/Masonary/Creaiting opening in walls etc complete in all espectes	Nos	149961	2	299,92 2.36	Annexure D	0.352 %	Hon'ble president rajasthan sangeet natak academy Smt Binaca jesh maloo and team RSNA decided the VIP entry from VIP room for vip protocol and parameters,reasons for VIPs.
28	Non-BSR	SITC 16Ch.Network Video Recorder Up to 16 channel IP camera input,Max 320Mbps incoming bandwidth,Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG,Up to 12MP resolution preview and playback,Support 2SATA HDDs up to 10TB Each,and 1e Sata ,4 USB(2 USB3.0, 2USB2.0),2 HDMI / 2 VGA simultaneous video output,Support Multi-brand network cameras,ONVIF Version 2.4 conformance Product should be UL,FCC,CE,ROHS.Approved Make: (CP Plus, Panasonic, Hikvision,Axis, Bosch, Pelco)	Nos.	21,000.00	1	21,000 .00		0.025 %	As per requirement of RSNA team for using CCTV for entire campus

29	Non-BSR	2 MP IP Camera Dome/Bullet ,High quality imaging with 2 MP resolution n Efficient H.265+ compression technology to save bandwidth and storage n Clear imaging against strong back light due to WDR technology n 3D DNR technology delivers clean and sharp images n Water and dust resistant (IP67 make Hikvision,CP plus panasonic Bosch,pelco,Axis.	Nos.	4,000.00	15	60,000 .00		0.070 %	As per requirement of RSNA team for using CCTV for entire campus
30	Non-BSR	Suppy & Testing and commisioning of 43" LED Display with FHD resolutions , with 350 or better nit brightness, 1920x1080 resolution , contrast ratio 1000:1 or better viewing angle 178x178, Video:CVBS, Component, 2 HDMI 1 DVI/DP/VGA, Audio:, USB player inputs, built in speaker, AC 100-240V (+/- 10%), 50/60 Hz including making connections etc complete in all respect. Make: Samsung/ Panasonic/ LG/ Sony	Nos.	43,000.00	1	43,000 .00		0.050 %	As per requirement of RSNA team for using CCTV for entire campus
31	Non-BSR	6TB HDD for Video Recorder (Approved Make :Seagate, Toshiba, WD)	Nos.	24,600.00	2	49,200 .00		0.058 %	As per requirement of RSNA team for using CCTV for entire campus
32	Non-BSR	RJ45 Connectors	Nos.	7.00	30	210.00		0.000 %	As per requirement of RSNA team for using CCTV for entire campus
33	Non-BSR	8 Port PoE Switch for site location 8x10/100/1000 POE + 2 Giga SFP uplink Port Make: CP/Dahua/ Dlink & its equivalent	Nos.	7,000.00	2	14,000 .00		0.016 %	As per requirement of RSNA team for using CCTV for entire campus
B		Total of Non BSR items				1,130, 887.12		1.326 %	

उपरोक्तानुसार कार्य में Additional work amount 3612994.54 जो कार्यादेश राशि का 4.236% है जिसके अनुसार Additional work amount व मूल कार्यादेश सहित कुल व्यय राशि रू. 8.90 करोड होगी जो स्वीकृत A&F राशि 11.50 करोड़ की सीमा में है। जिसकी स्वीकृति की सक्षमता कार्यकारी समिति में निहित होने के कारण स्वीकृति हेतु एजेण्डा प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Scanned with OKEN Scanner

इसके पश्चात् बैठक में उपस्थित निदेशक–अभियांत्रिकी द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त एजेण्डा में एक एजेण्डा सम्मिलित होने से शेष रह गया है। जिसको टेबल एजेण्डा के रूप में इस बैठक में प्रस्तुत किया जाकर निर्णित किया जाना उचित होगा। इस पर बैठक में सभी सदस्यों ने सहमति प्रकट करते हुए निदेशक–अभियांत्रिकी द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा का टेबल एजेण्डा के रूप में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया। जिस पर बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

प्रस्ताव संख्या 15 :: जोधपुर किला रोड़ से बालसमंद रावटी सड़क मार्ग तक नवीन सड़क निर्माण कार्य के अन्तर्गत अन्यत्र स्थान पर करवाये गये कार्य में कार्यकारी समिति बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 24 मई 2019 के प्रस्ताव संख्या 4 में निर्णय में संपूर्ण तथ्यों का समावेश नहीं होने के क्रम में संपूर्ण तथ्यों का समावेश करते हुए प्रकरण की अतिरिक्त कार्य की दर स्वीकृति के संबंध मे निर्णय तथा अतिरिक्त किये गये कार्य के सक्षम स्तर पर अनुमोदन उपरांत स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने हेतु स्वीकृति का प्रस्ताव।

प्रसंग :– **पत्रावली के एफटीएस क्रमांक JDA/FTS/32389**

उपरोक्त विषयान्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की कार्यकारी समिति की बैठक हेतु एजेण्डा के घोषणा/प्रस्ताव निम्नलिखित हैः–

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	जोधपुर किला रोड़ से बालसमंद रावटी सड़क मार्ग तक नवीन सड़क निर्माण कार्य के अन्तर्गत अन्यत्र स्थान पर करवाये गये कार्य में कार्यकारी समिति बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 24 मई 2019 के प्रस्ताव संख्या 4 में निर्णय में संपूर्ण तथ्यों का समावेश नहीं होने के क्रम में संपूर्ण तथ्यों का समावेश करते हुए प्रकरण की अतिरिक्त कार्य की दर स्वीकृति के संबंध में निर्णय तथा अतिरिक्त किये गये कार्य के सक्षम स्तर पर अनुमोदन उपरांत स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने हेतु स्वीकृति का प्रस्ताव।

जोधपुर किला रोड़ से बालसमंद रावटी सड़क तक नवीन सड़क निर्माण कार्य बाबत् ई–निविदा सूचना संख्या जोन उत्तर–सी/02/2013–14 प.क्र 3168 दिनांक 22.04.2013 जारी की गयी थी। कार्य की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति क्रमांक JDA/A&F/TA to DE/2012-13 Dated 12.06.2012 राशि रूपये 1000.00 लाख की जारी की गयी थी तथा तकनीकी स्वीकृति क्रमांक DE/N-C/64/13-14 Dated 24.04.2013 राशि रूपये 1000.00 लाख की जारी की गयी थी। संवेदक को कार्यादेश क्रमांक 3768 दिनांक 21.08.2013 राशि रूपये 89874078/–(7% Above G-Schedule) PWD BSR 2012 पर जारी किया गया था।

तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदया के जोधपुर प्रवास के दौरान उक्त कार्यादेश के अन्तर्गत मुख्यमंत्री जन–आवास योजना द्वितीय फेज तनावड़ा में सड़क निर्माण कार्य करवाया गया, जिसकी पत्रावली के पैरा–123 पर तत्कालीन आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राशि रूपये 20.59 लाख की स्वीकृति दिनांक 16.12.2016 को प्रदान की गई तथा पत्रावली के पैरा–149 द्वारा अन्यत्र स्थान पर करवाये गये उक्त कार्य का अनुमोदन कार्यकारी समिति में करवाये जाने के निर्देश प्रदान किये है। मौके पर चतुर्थ रनिंग बिल तक कुल राशि रूपये 8,24,82,086/– का कार्य संपादित किया गया है। तत्समय दक्षिण जोन में 2016–17 के दौरान दो कार्य वार्षिक अनुबंध के चालू थे और उनमें बीएसआर 2013 पर क्रमशः 22%, 24% Below दरों पर कार्यादेश दिया गया था जबकि उक्त कार्य के लिये बीएसआर 2012 पर

Scanned with OKEN Scanner

7% Above पर कार्यादेश दिया गया था। तकमीने के अनुसार दोनों बीएसआर 2012 के अनुसार उक्त दरें 10.96% Below आती है। कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्य दक्षिण जोन में करवाया गया जबकि मूल कार्यादेश जोन उत्तर का था। चूंकि कार्य की शिफ्टिंग हुई है एवं संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अतः भुगतान किया जाना जेडीए का दायित्व है। कार्यकारी समिति के बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 24 मई 2019 के प्रस्ताव संख्या 4 में कार्य की आवश्यक प्रकृति एवं परिस्थितियों के मध्यनजर कार्य शिफ्टिंग का कार्योतर अनुमोदन एवं जोन दक्षिण की स्वीकृत दर के अनुसार संवेदक को उक्त कार्य का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् सचिव महोदय के पत्रांक बैठक/2019/815–832 दिनांक 07 जून 2019 में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 24 मई 2019 में प्रस्ताव संख्या–4 में लिये गये निर्णय को स्थगित किया गया तथा "जोधपुर किला रोड़ से बालसमंद रावटी सड़क तक नवीन सड़क निर्माण कार्य" का प्रस्ताव संपूर्ण तथ्यों का समावेश कर निदेशक–अभियांत्रिकी से स्पष्ट प्रस्ताव मय स्पष्टीकरण निर्णयार्थ आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का आदेश जारी किया गया।

उक्त कार्य राज्य सरकार को भेजे गये "गैर राजकीय भूमि, अधिक एवं अतिरिक्त कार्यों एवं स्थान परिवर्तन कर कराये गये विकास कार्यों" के भुगतान की सूची में सम्मिलित था, जिसका क्रमांक 158 (सी–63) है। कार्य स्थान परिवर्तन (शिफ्टिंग) प्रकृति का है।

नगरीय विकास विभाग द्वारा उपरोक्त प्रकार के प्रकरणों के लिये गठित सक्षम समिति द्वारा मौका निरीक्षण उपरांत प्राधिकरण बैठक एवं कार्यकारी समिति इत्यादि से अनुमोदन पश्चात् उक्त कार्य हेतु राज्य सरकार को अधिक एवं अतिरिक्त तथा स्थान परिवर्तन कर करवाये गये कार्यों की सूची में सम्मिलित करते हुए अतिरिक्त/अधिक का प्रकरण राशि का भिजवाया गया जो कि सूची क्रमांक 158 (सी–63) पर है।

उक्त कार्य की उपरोक्तानुसार स्वीकृति राज्य सरकार के पत्रांक प.10(01)नविवि/2003पार्ट दिनांक 10.03.2021 तथा 29.10.2021 द्वारा उक्त कार्य पर कुल राशि रूपये 8,24,82,086/– की स्वीकृति राज्य सरकार के उपरोक्त पत्रांकों द्वारा प्राप्त हुई है।

निदेशक वित ने आयुक्त महोदय को यू.ओ. नोट क्रमांक लेखा/2019–20/500 दिनांक 7 जून 2019 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 24 मई 2019 के प्रस्ताव संख्या 4 में निर्णय का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि "जोधपुर किला रोड़ से बालसमंद रावटी सड़क तक नवीन सड़क निर्माण कार्य" के प्रस्ताव के निर्णय में संपूर्ण तथ्यों का समावेश नहीं हुआ यथा–कार्य की भुगतान की राशि एवं भुगतान की दरों की शर्तें आदि। संवेदक को निम्नानुसार रनिंग बिलों का भुगतान किया गया है:–

बिल क्रमांक	राशि	दिनांक
प्रथम रनिंग बिल	1,91,53,846/–	15.10.2013
द्वितीय रनिंग बिल	2,77,69,414/–	25.03.2014
तृतीय रनिंग बिल	1,94,14,434/–	23.05.2016
चतुर्थ रनिंग बिल	1,61,44,392/–	15.07.2017
योग	8,24,82,086/–	

चूंकि शिफ्टिंग कर करवाये गये अतिरिक्त कार्य की मात्राओं का इन्द्राज रिकॉर्ड किया गया है, परन्तु करवाये गये कार्य की लागत राशि नहीं निकाली गयी है, जिस कारण से सक्षम कमेटी द्वारा उक्त कार्य पर राशि रूपये 8,24,82,086/– का व्यय मानते हुए राज्य सरकार को प्रकरण प्रेषित किया गया। तथा राज्य सरकार द्वारा उक्त कार्य हेतु राशि रूपये 8,24,82,086/– की स्वीकृति प्रदान की गयी।

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्तानुसार दिनांक 24 मई 2019 के प्रस्ताव संख्या 4 में जोन दक्षिण की स्वीकृत दर के आधार पर किये गये दर विश्लेषण से प्राप्त दर 10.96 % Below के अनुसार संवेदक को उक्त कार्य का भुगतान किये जाने की अनुशंषा का निर्णय लिया गया था। परन्तु संवेदक द्वारा मांग की गयी कि उक्त निर्णय गलत था तथा मुझे आवंटित कार्यादेश की पत्रावली में स्वीकृत दर 7.00 % Above पर भुगतान किया जाये। चूंकि अभी तक यह निर्णय भी नहीं हुआ है कि अतिरिक्त कराये गये कार्य का भुगतान किस दर पर किया जाये।

अतिरिक्त करवाये गये कार्य की राशि को सम्मिलित किये जाने पर कार्य पर कुल व्यय होने वाली राशि रूपये 8,24,82,086/— की सीमा से परे होगी, जिसके प्रमाणीकरण की स्वीकृति समान प्रकृति के कार्यों हेतु पूर्व में भेजे गये प्रकरणों की तरह राज्य सरकार से ली जानी होगी।

जोधपुर किला रोड़ से बालसमंद रावटी सड़क मार्ग तक नवीन सड़क निर्माण कार्य के अन्तर्गत अन्यत्र स्थान पर करवाये गये कार्य में कार्यकारी समिति बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 24 मई 2019 के प्रस्ताव संख्या 4 में निर्णय में संपूर्ण तथ्यों का समावेश नहीं होने के क्रम में संपूर्ण तथ्यों का समावेश करते हुए प्रकरण की अतिरिक्त कार्य की दर स्वीकृति के संबंध में निर्णय तथा अतिरिक्त किये गये कार्य के सक्षम स्तर पर अनुमोदन उपरांत स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने हेतु स्वीकृति का प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रस्तुत प्रस्ताव में संपूर्ण तथ्यों का समावेश नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य लेखाधिकारी एवं अधिशाषी अभियन्ता की कमेटी का गठन कर उक्त कमेटी से प्रकरण का परीक्षण करवाकर प्रकरण समस्त तथ्यों के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या बैठक शाखा/ 2022/ भाग–14/ (जे0डी0ए0/एफ0टी0एस0/94294) कार्यकारी समिति बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या 31 /एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है। उपरोक्त जारी किये जाने वाले कार्यवाही विवरण के संबंध में किसी भी सदस्य को यदि कोई आपत्ति हो तो वह कार्यवाही विवरण जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा स्थिति में कार्यकारी समिति के निर्णय प्रभावी माने जावेंगे।

(जय नारायण मीणा)
सचिव

क्रमांक/बैठक/2023/2205-2224

दिनांक ::26 अप्रैल, 2023

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर
03. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
04. निजी सचिव जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
05. निजी सचिव, प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, जयपुर/ क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर/बोरानाड़ा
06- उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेंट काउन्सिल, (RAJREDCO) 307, पिंक टावर, नेहरू गार्डन के सामने, टोंक रोड, जयपुर
07. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

Scanned with OKEN Scanner

08. आयुक्त, नगर निगम (उत्तर/दक्षिण) जोधपुर
09. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/ पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
10. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
11. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
12. प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
13. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
14. निदेशक– अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. उपायुक्त–1/2/3/4/5/6/ उपसचिव / भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. अधीक्षण अभियन्ता–I/II/III, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
19. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
20. ....

(जय नारायण मीणा)
सचिव

श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 25 अप्रैल, 2023 को मध्यान्ह पश्चात् 4.00 बजे आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. श्री ओ.पी. सुथार, अधीक्षण अभियन्ता (सिटी), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
2. श्री अनिल सोनी, अधिशाषी अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिटी सर्कल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
3. श्रीमती अंशु जैन, सहायक उपायुक्त पुलिस–पूर्व (यातायात), जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर
4. श्री हरिराम चौधरी, उप अधीक्षक (ग्रामीण), जोधपुर
5. श्री दीपक कुमार गुप्ता, अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर–दक्षिण
6. श्री भानु प्रताप, उप निदेशक, पर्यटन विभाग, जोधपुर
7. श्री महेन्द्रसिंह पंवार, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8. श्री सुभाष चन्द शर्मा, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9. श्री दशरथ कुमार सोलंकी, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10. श्री जगदीश प्रसाद, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्री मनोज सोलंकी, उपायुक्त–2, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री प्रकाश चन्द अग्रवाल, उपायुक्त–5, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री श्रवण कुमार, उपायुक्त–6, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री राजीव कश्यप, अधिशाषी अभियन्ता, मुख्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. डॉ. ललित कुमार मतनानी, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. श्री जयनारायण मीणा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

000
0

Scanned with OKEN Scanner